संख्या- 41/2016/1460/30-3-16-42एम/2014

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 07 जून, 2016

विषय - उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में "उच्चस्तरीय समिति" के सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में "सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ" के गठन हेतु अस्थायी रूप से सृजित किये गये पदों की निरंतरता जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-313(जी)स0सु0/2016-43-1स0सु0/2015, दिनॉक 18-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-19/187/30-3-15-42एम/2014, दिनॉक 27-02-2015 द्वारा सृजित पदों की निरन्तरता दिनॉक 28-02-2017 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में "उच्चस्तरीय समिति" के सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में "सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ" के गठन हेतु सेवा स्थानान्तरण के आधार पर विशेष कार्याधिकारी के 03 (वेतन बैण्ड-3-15600-39100 ग्रेड वेतन 6600) तथा लेखाकार के 01 (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 ग्रेड वेतन 4200) अस्थायी पद एवं आउटसोर्स के माध्यम से डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के 02 पद (वेतन रू0 20,000/- प्रतिमाह), लिपिक के 04 पद (वेतन रू0 20,000/- प्रतिमाह), और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 02 (वेतन रू0 15,000/- प्रतिमाह), अस्थायी पदों का सृजन करते हुए उक्त पदों को दिनॉक 28-02-2015 तक की अवधि के लिये अस्थायी रूप से स्वीकृत किया गया है। तदनुक्रम में शासनादेश संख्या-29/576/30-3-15-42एम/2014, दिनॉक 17-03-2015 द्वारा उक्त अस्थायी पदों की निरंतरता दिनॉक 01-03-2015 से 29-02-2016 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें बिना नोटिस के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी पदों की निरंतरता दिनॉक 01-03-2016 से 28-02-2017 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें बिना नोटिस के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त 03 विशेष कार्याधिकारी (वेतन बैण्ड-3-15600-39100 ग्रेड वेतन 6600) तथा 01 लेखाकार (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 ग्रेड वेतन 4200) को शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014, नियम-9 के खण्ड-(ग) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में उक्त नियमावली के नियम-4(3) में उल्लिखित "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या- 41/2016/1460(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
3- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-9
4- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0, सचिवालय, लखनऊ।
5- कार्मिक अनुभाग-1
6- कार्मिक नियमावली सेल।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।